# न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस)

प्रकरण संख्या 55 / 2025

बउनवान

राज्य सरकार जर्ये संतोष कुमार मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक, (बारां) ( प्रार्थी )

बनाम

श्री नरेन्द्र सुमन पुत्र जगदीश सुमन निवासी गजनपुरा वाले बारां ( अप्रार्थी )

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 / 7 के तहत

उपस्थिति :– 1. पेरोकार रसद (प्रार्थी )

## निर्णय दिनांक 01.09.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 16.10.2024 को घरेलू गैस सिलेण्डरों के बढते व्यावसायिक दुरूपयोग की शिकायत के क्रम मैं प्रार्थी हमराह रविन्द्र मील प्रवर्तन निरीक्षक, धीरज कुमार मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक, रविन्द्र कुमार मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक, प्रताप चौक के पास स्थित न्यू रतन सुमन रेस्टोरेंट पर पहुंचे। मौके पर श्री नरेन्द्र सुमन पुत्र जगदीश सुमन निवासी गजनपुरा बारां उपस्थित मिले जिनके सामने जांच की गई। जांच में मौके पर घरेलु गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग किया जाना पाया गया। इसलिये द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का उल्लंघन पाये जाने पर 1 घरेलू गैस सिलेण्डर मौके पर जब्त सरकार कर रूबरू मैसर्स बारां गैस सर्विस बारां की सुपुर्दगी में दिया जाकर सुपुर्दगीनामा लिखा गया।

इस प्रकार अप्रार्थी का यह कृत्य राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियत्रंण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः उपरोक्तानुसार जब्तशुदा गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात की कार्यवाही कर निस्तारण फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6(बी) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी उपस्थित हुआ परंतु अप्रार्थी ने जवाब पेश नहीं किया तथा दौराने विचारण अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर एकपक्षीय बहस प्रार्थी की सुनी गई ।

हमने बहस एकपक्षीय पेरोकार रसद की सुनी।

दौराने बहस पेरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी ने घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग कर राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियत्रंण) आदेश 1990 के खण्ड [illegible] द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का [illegible] किया है। अतः जब्तशुदा 1 गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात किये जाने के आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.10.01 12:40:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारॉं (राज॰)

हमने सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर, जिला रसद अधिकारी, बारां को निर्देश दिये जाते है कि जप्तशुदा HPCL गैस सिलेण्डर नम्बर (1) 408549T, का उपयोग व्यावसायिक कार्य हेतु किया गया है, इसलिये अप्रार्थी/सुपुर्दगीदार से जप्तशुदा गैस सिलेण्डर की सिक्योरिटी राशि मय जुर्माना राशि प्रति गैस सिलेण्डर 2500/– रूपये यानि 1 गैस सिलेण्डर की कुल 2500/– रूपये लिये जाकर जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर को वापस लौटाया जावे। यदि अप्रार्थी जप्तशुदा गैस सिलेण्डर को उक्तानुसार राशि जमा करवा कर वापस नही लेता है तो अप्रार्थी से व्यवसायिक गैस की दर से घरेलू गैस सिलेण्डर की अन्तर राशि नियमानुसार प्राप्त करें एवं प्राकृतिक गैस विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 22.6.07 द्वारा राज्य सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर के प्रदत्त निर्देशानुसार उक्त जप्तशुदा गैस सिलेण्डर को संचालक रूबरू मैसर्स बारां गैस सर्विस बारां को कीमत पर दिया जाकर उक्तानुसार प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवायी जावें।

निर्णय आज दिनांक 01.09.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बाराँ (राज०)

( रोहिताश्व सिंह तोमर )
जिला कलक्टर बारां

जिला कलेक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.10.01 12:40:16 IST
Reason: SelfAttested